by the Members. But we wanted to have a discussion. So, we took up the discussion. I will convey the sentiment of the Members to the Minister concerned, and we would see how we could find time to have a discussion as the Members have shown concern.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya) : Madam, I want a copy of the Report.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It will be available.

RE. COMPLAINTS OF LARGE-SCALE OMISSION Of VOTERS' NAMES FROM ELECTORAL ROLLS IN DELHI

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम दिल्ली में तकरीबन डेढ़ लाख वोटर्ज के नाम लिस्ट से खारिज किये गये, इसके ऊपर आपकी और पूरे हाऊस की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैडम, दिल्ली के इलेक्शंस से पहले तकरीबन 140 पोलिंग बूथ्स के ऊपर से जो सात एम एल०ए० कांस्टीट्यूंसीज को कवर करते हैं उनमें से तकरीबन डेढ़ लाख वोटरों के नाम निकाले गये। मैडम, सेंसस किया गया और सेंसस करने के बाद उन वोटर्ज के नाम दर्ज किये गये, लिस्टें तैयार की गई, एनुमरेशन कार्ड उन वोटर्ज को दे दिये गये। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह राइट नहीं है कि वह किसी का नाम खारिज कर दे। मेरे इल्म के मुताबिक बकायदे दफ्तर की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर इलेक्शन कमीशन को आया जिसमें यह कहा गया कि अगर यहां पर कुछ फॉरेन नेशनल्ज हों तो उनके नाम वोटर्ज लिस्ट से निकाल दिये जाए। मैं नहीं जानता कि किन हालात के अन्दर ऐसा हुआ। एनुमरेशन कार्ड देने के बाद 140 पोलिंग बूथ्स के ऊपर सात एम० एल० ए० कांस्टीट्यूंसीज के ऊपर लोगों के नाम निकाले गये और हैरत की बात यह है कि पूरे पूरे मोहल्ले गायब किये गये। हैरतअंगेज बात यह है, मेरे पास सबूत है, मैं इसको बगैर सबूत के नहीं रख रहा हूं। जो नाम निकाले गये मिसाल के तौर पर मकान नम्बर 2000 से लेकर 2010 तक जो लोग रहने वाले हैं वह माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, उनके नाम खारिज कर दिये गये। मकान नम्बर 2011 और 2012 के अन्दर अगर कोई गैर मुस्लिम, है तो उसका नाम शामिल कर दिया गया। मैडम अगर 2013 से ले कर 2018 तक फिर अगर कोई मुसलमान का नाम है तो उनको निकाल दिया गया और उसके बाद जो गैर मुस्लिम थे उनका नाम शामिल कर लिया गया। मैडम, इस मुल्क के अन्दर मुसलमान होना क्या जुर्म है ? क्या मुसलमान होना फॉरेन नेशनल होने की अलामत है ? मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं और और खास तौर पर इलेक्शन कमिश्नर से जो आजादी के साथ इलेक्शन कराने का भ्रम यहां पर करने की कोशिश कर रहे है। कि यह नाइंसाफी क्यों हुई। मैडम, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर वोटर्स, जिन डेढ़ लाख वोटर्स के नाम निकाले गये हैं, उनमें से कुछ वोटर्स इस मसले को लेकर अदालत में गये। अदालत ने इलेक्शन से एक दिन पहले यह मश्विरा दिया कि यह बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कर रहे हैं। नोटीफिकेशन आने वाला है, इस वक्त मुनासिब नहीं है। आप इस केस को बाद में देखें। उसके बाद, बाद में केस की सुनवाई हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालत ने यह मान लिया कि यह नाइन्साफी की गयी है। इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है कि सेन्सस करने के बाद जेनुइन वोटर्स के नाम किसी भी बुनियाद पर निकाले जाएं। एक पोलिंग बूथ पर एक हजार से लेकर ग्यारह सौ, बारह सौ तक वोट होते हैं। लेकिन ग्यारह सौ, बारह सौ नाम दर्ज हो गये उसके बाद जब लिस्ट फाइनल होने के लिए, छपने के लिए गयी तो ऐसी लिस्ट दी है पोलिंग बूथ के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ है मकान नम्बर 2300 से लेकर मकान नम्बर 3400 तक लेकिन यह है कि उसमें एक भी वोटर नहीं है। मकान है वोटर नहीं है चूंकि उस पूरे मुहल्ले के अंदर, उन पूरे मकानों के अंदर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। इसके अलवा ऐसे भी पोलिंग बूथ हैं जहां एक

हजार की बजाये, बारह सौ की बजाये—एक हजार तो कम से कम होते हैं —इक्कीस वोटरों के नाम दिये गये हैं और इक्कीस के इक्कीस नान मुस्लिम हैं। मैडम, इस केस को लेकर जब हम अदालत में गये। तो अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को तम्बी की कि यह गलत है। जिन लोगों के नाम आपने निकाले हैं उनको दोबारा से शामिल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसम्बर उसकी लास्ट डेट मुकर्रर की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है वह क्या—क्या खेल खेल रही है। वहां पर हम लोगों से फार्म भरवाये हैं। कैम्पस लगे हैं जमुनापार के अंदर। हजारों लोगों ने अपने फार्म भर दिये हैं। लेकिन फार्म लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन का जो इंचार्ज है मिस्टर जोजफ, उनसे जाकर लोग मिले तो उन्होंने एक अफसर की ड्यूटी लगायी कि उस अफसर को आप जाकर अपने फार्म्स दे सकते हैं। वे अफसर दो महीने की छुट्टी पर हैं और जब हम उनके पास जाते हैं तो कोई किसी के पास भेज देता है, कोई किसी के पास भेजता है। उन्होंने एक भी फार्म एक्सेप्ट नहीं किया है जबकि हमारे पास कम से कम 30—35 हजार फार्म्स तैयार रखे हुए हैं और लोग लाइन लगाकर जमुनापार, सीलमपुर और दूसरे इलाकों के अंदर अपना नाम दर्ज कराने के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत सोची समझी हुई साजिश है। मैं मरकजी सरकार को तम्बी कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राम का नारा फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अगले एजेंडा में बंगलादेशियों को लेकर फारेन नेशनल्स को लेकर हिन्दुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का प्रचार शुरू करने जा रही है। मदन लाल खुराना जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि हम यहां से बंगलादेशियों को निकालेंगे। मैं इस मसले पर कई दफा तवज्जह दिला चुका हूं। मैं वजीरे दाखिला से पूछना चाहता हूं कि कौन है जिसने ये इंस्ट्रशंस इश्यू किये कि जो फारेन नेशनल्स हैं उनके नाम निकाल दिये जाये और जो डेढ़ लाख लोगों के नाम निकाले गए इनके फारेन नेशनल होने का आपके पास क्या सबूत है। किस पावर के तहत इलेक्शन कमिश्नर ने इनके नाम निकाले हैं और आज किस पावर के तहत अदालत की हिदायत होने के बावजूद उनके नाम दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। बहाना किया जा रहा है कि हेड आफ द फेमिली खुद आये और आ करके काश्मीरी गेट के दफ्तर में अपना फार्म जमा करायें। मैडम, क्या यह पासिबल है कि आप 22 दिसम्बर तक डेर दें। 10—12 दिन की और उसके अंदर डेढ़ लाख वोटर्स हेड आफ द फेमिली के साथ वहां पर जाएं और वहां पर जाकर बच्चों को लेकर, अपने नौजवान लड़कों को लेकर अपनी बूढ़ी औरतों को लेकर फार्म जमा करवायें। यह सोची समझी हुई साजिश है। मैं इस इलेक्शन के नतायज के बाद बहुत ज्यादा परेशान हूं। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई पार्टी माइनारिटी का एक आदमी जिताकर नहीं . . . (**व्यवधान**) और आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से अकिलयत फिरकों के वोटों को काटने की कोशिश की जा रही है, मैं यह समझता हूं कि यह इलेक्ट्रोरल कत्लेआम करने की कोशिश की जा रही है। क्या मतलब है? इस मुल्क में मुसलमानों का कुछ हिस्सा है या नहीं। अगर ये यहां पर वोट डालना चाहते हैं तो उनका नाम वोटर्स लिस्ट से निकाला जाता है . . . (**व्यवधान**) अगर होम मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वाल्व है . . .

उपसभापति : आपने अपनी बात कह दी अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : कौन इंक्वायरी करेगा। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं गर्वनमेंट आफ इंडिया से और दिल्ली की सरकार से कि यह जो आप जुल्म कर रहे हैं माइनारिटीज के साथ इसको बंद कर दीजिए। मैडम, जमुनापार में राशन कार्ड कैंसिल करने शुरु कर दिये हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और आज दोपहर में वहां एक धरना भी हो रहा है,

हमारे सारे लोग वहां जा रहे हैं । मैडम, मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं और इन्साफ की आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस मसले को टाप प्रायोरिटी पर देखा जाए । बहुत बहुत शुक्रिया ।

شری محمد افضل عرف م ۔ افضل† اتر پردیش"
میڈم ۔ دِلّی میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ ووٹرس کے نام لسٹ سے خارج کئے گئے اس کے اوپر آپ کی اور پورے ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ۔ میڈم ۔ دِلّی کے الیکشن سے پہلے تقریباً ۱۴۰ پولنگ بوتھس کے اوپر سے جو سات ایم ۔ ایل ۔ اے کانسٹی ٹیونسی کو کور کرتے ہیں اس میں سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ ووٹروں کے نام نکالے گئے ۔ میڈم ۔ سینس کیا گیا اور سینس کرنے کے بعد ان ووٹرس کے نام درج کئے گئے ۔ لسٹیں تیار کی گئیں ۔ اینومریشن کارڈ ان ووٹرس کو دیدیئے گئے ۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام خارج کردے ۔ میرے علم کے مطابق وزارت داخلہ کی طرف سے ایسا کوئی سرکولر الیکشن کمیشن کو آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہاں پر کچھ فارنرز نیشنس ہوں تو اُن کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیئے جائیں میں نہیں جانتا کہ کن حالات میں ایسا ہوا ۔ اینومریشن کارڈ دینے کے بعد ۱۴۰ پولنگ بوتھس کے اوپر ۷ ایم ۔ ایل ۔ اے کانسٹی ٹیونسیز کے اوپر لوگوں کے نام نکالے گئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے پورے محلّے غائب کئے گئے ۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں ۔ میں اس کو بغیر ثبوت کے نہیں رکھ رہا ہوں ۔ جو نام نکالے گئے مثال کے طور پر مکان نمبر دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک جو لوگ رہنے والے ہیں وہ مائنارٹیز کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ مسلمان ہیں ۔ اُن کے نام خارج کردیئے گئے ۔ اور مکان نمبر ۲۰۱۱ اور ۲۰۱۲ کے اندر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا نام شامل کردیا گیا ۔ میڈم ۔ اگر ۲۰۱۳ سے لے کر ۲۰۱۸ تک پھر اگر کوئی مسلمان نام ہے تو اس کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد جو غیر مسلم تھے اُن کا نام شامل کردیا گیا ۔ میڈم ۔ اس ملک کے اندر مسلمان ہونا کیا جرم ہے ۔ مسلمان ہونا فارن نیشنل ہونے کی علامت ہے ۔ میں دِلّی ایڈمنسٹریشن سے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر الیکشن کمیشن سے جو آزادی کے ساتھ الیکشن کرانے کا بھرم یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ یہ ناانصافی کیوں ہے ۔ میڈم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ کو لے کر ووٹرس جن ڈیڑھ لاکھ

† Transliteration in Arabic Script.

بارہ سو کے بجائے ۔ ایک ہزار تو کم سے کم ہوتے ہیں ۔ اکیس ووٹروں کے نام دیئے گئے ہیں اور اکیس کے اکیس نان مسلم ہیں ۔ میڈم اس کیس کو لے کر جب ہم عدالت میں گئے تو عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کو تنبیہ کی کہ یہ غلط ہے ۔ جن لوگوں کے نام آپ نے نکالے ہیں اُن کو دوبارہ سے شامل کیا جائے ۔ الیکشن کمیشن نے ۲۲ دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دِلّی ایڈمنسٹریشن اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار دِلّی کے اندر ہے وہ کیا کیا کھیل رہی ہے ۔ ہے وہاں پر ہم لوگوں سے فارم بھروائے ہیں کیمپس لگے ہیں جمنا پار کے اندر ۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے فارم بھر دیئے ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں فارم کا ۔ دِلّی الیکشن کمیشن کا جو انچارج ہے مسٹر جوزف اُن سے جاکر لوگ ملے تو انھوں نے ایک افسر کی ڈیوٹی لگائی کہ اس افسر کو آپ جاکر اپنے فارمس دے سکتے ہیں ۔ وہ افسر دو مہینے کی چھٹی پر ہے اور جب اُن کے پاس جاتے ہیں تو کوئی کسی کے پاس بھیج دیتا ہے ، کوئی کسی کے پاس بھیج دیتا ہے ۔ انھوں نے ایک بھی فارم ایکسپٹ نہیں کیا ہے جب کہ ہمارے پاس ووٹرس کے نام نکالے گئے ہیں اُن میں سے کچھ ووٹرس اس معاملہ کو لے کر عدالت میں گئے ۔ عدالت نے الیکشن سے ایک دن پہلے یہ مشورہ دیا کہ یہ بالکل لاسٹ موومنٹ میں کر رہے ہیں ۔ نوٹیفیکیشن آنے والا ہے ۔ اس وقت مناسب نہیں ہے ۔ آپ اس کیس کو بعد میں دیکھیں ۔ اس کے بعد کیس کی سنوائی ہوئی ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت نے یہ مان لیا کہ یہ ناانصافی کی گئی ہے ۔ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ سینس کرنے کے بعد جینوئن ووٹرس کے نام کسی بھی بنیاد پر نکالے جائیں ۔ ایک ایک پولنگ بوتھ پر ایک ہزار سے لے کر ۱۱۰۰ ۔ ۱۲۰۰ تک ووٹ ہوتے ہیں ۔ لیکن ۱۱۰۰ ۔ ۱۲۰۰ نام درج ہوگئے اس کے بعد جب لسٹ فائنل ہونے کے لئے چھپنے کے لئے گئی تو ایسی لسٹ دی ہے پولنگ بوتھ کے اوپر ۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مکان نمبر ۲۳۰۰ سے لے کر مکان نمبر ۲۴۰۰ تک ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک بھی ووٹر نہیں ہے ۔ مکان ہے ووٹر نہیں ہیں ۔ کیونکہ اس پورے محلّے کے اندر ان پورے مکانوں کے اندر صرف مسلمان رہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ ایسے بھی پولنگ بوتھ ہیں جہاں ایک ہزار کے بجائے

کشمیری گیٹ کے دفتر میں اپنا فارم جمع کرائے۔ میڈم کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ ۲۲ دسمبر تک ڈیٹ دیں دس بارہ دن کی اور اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ ووٹرس ہیڈ آف دہ فیملی کے ساتھ وہاں پہ جائیں اور وہاں پر جا کر بچوں کو لے کر اپنے نوجوان لڑکوں کو لے کر۔ اپنی بوڑھی عورتوں کو لے کر فارم جمع کرائیں یہ سوچی سمجھی ہوئی سازش ہے۔ میں اس الیکشن کے نتائج کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آج مدھیہ پردیش کے اندر کوئی پارٹی مائنارٹی کا ایک آدمی جتا کر نہیں . . . "مداخلت"... اور آج دلی کے اندر جس طرح سے اقلیتی فرقوں کے ووٹوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹورل ریفارم عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کا کچھ حصہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ ووٹ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو اُن کا نام ووٹر لسٹ سے نکالا جاتا ہے۔ . . . "مداخلت"... اگر ہوم منسٹری اس کے اندر انوالو ہے . . . .

اُپ سبھاادھیکش :۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی اب آپ بیٹھئے۔

شری محمد افضل عرف منا۔ افضل :۔ کون انکوائری کرے گا۔ میں آپ کے مادھیم سے رکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے کم سے کم ۲۵ — ۳۰ ہزار فارم تیار رکھے ہوئے ہیں اور لوگ لائن لگا کر جمنا پار — سیلم پور اور دوسرے علاقوں کے اندر اپنا نام درج کرانے کے لئے کھڑے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سوچی سمجھی ہوئی سازش ہے۔ میں مرکزی سرکار کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا رام کا نعرہ فیل ہو چکا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اگلے ایجنڈہ میں بنگلہ دیشیوں کو لے کر فارن نیشنل کو لے کر ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا پرچار شروع کرنے جا رہی ہے۔ مدن لال کھورانہ جو چیف منسٹر ہیں انھوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم یہاں سے بنگلہ دیشیوں کو نکال دیں گے۔ میں اس مسئلہ پر کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں۔ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے یہ انسٹرکشنس ایشو کئے کہ جو فارن نیشنل ہیں اُن کے نام نکال دیئے جائیں اور جو ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے نام نکالے گئے اُن کے فارن نیشنل ہونے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ کس پاور کے تحت الیکشن کمیشن نے اُن کے نام نکالے ہیں اور آج کس پاور کے تحت عدالت کی ہدایت ہونے کے باوجود اُن کے نام درج نہیں کئے جا رہے ہیں۔ بہانہ کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ آف دہ فیملی خود آئے اور آ کر کے

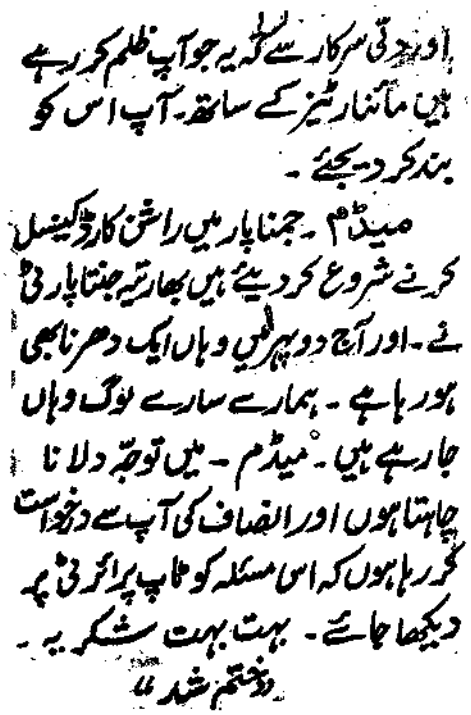
اور دہلی سرکار سے کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں مائنارٹیز کے ساتھ۔ آپ اس کو بند کر دیجئے۔

میڈم۔ جمنا پار میں راشن کارڈ کینسل کرنے شروع کر دیئے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے۔ اور آج دوپہر میں وہاں ایک دھرنا بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ میڈم۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور انصاف کی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس مسئلہ کو ٹاپ پرائرٹی پہ دیکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔

ختم شد

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have permitted Mr. Hanumanthappa.

श्री हेच० हनुमनतप्पा : (कर्नाटक) : मैडम, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी यह अन्याय दिल्ली एसेंम्बली के चुनाव के दौरान हुआ है। जब दिल्ली के इलेक्शन के समय एनुमरेशन शुरू हूआ, तब एनुमरेशन फॉर्म में वह कॉलम ही नहीं था कि —

whether you belong to SC or ST community.

तो यह एनुमरेशन कैसे हुआ? मैडम, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन जब एनुमरेशन होता है तो उस फॉर्म में कॉलम ही नहीं है। जब मैंने फॉर्म मंगाया और उसमें यह देखा तो एक लेटर इस बारे में होम मिनिस्ट्री को लिखा कि एनुमरेशन फॉर्म में इसका कॉलम ही नहीं है। इसलिए उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नंबर वोटर्स लिस्ट से छूट गया है। यह मैंने होम मिनिस्ट्री को लिखा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अभी अफजल साहब ने जिस अन्याय की बात कही, वह शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के बारे में भी दिल्ली में हुआ है। उनकी जितनी आबादी थी, उसको कम कर दिया गया और जितनी सीट्स आनी थी, वह सीटें नहीं दी गयी हैं और उनका नम्बर कम हो गया है।

इस तरह मैं चाहता हूं कि एनुमरेशन फार्म में जो गलतियां हुई हैं और जिनकी ओर मैंने सरकार का ध्यान खींचा है, उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार शीघ्र काम करे।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal) : Madam, .. .

THE DEPUTY CHAIRMAN : He wants to associate himself with Mr. Afzal's special mention. That is why I am allowing him.

SHRI SUKOMAL SEN : I am going to mention about something else.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will permit you on something else also.

श्री मौलाना असद मदनी : आप थोड़ा मुख्तसर बोलें ताकि दूसरा काम भी हो सके।

श्री मौलाना असद मदनी (उत्तर प्रदेश) : नायब सदर साहिबा, वोटर लिस्ट के मुताबिक जो शिकायत अफजल साहब ने की है, यह शिकायत दिल्ली में हुई है मसलन हाजी साले साहब के खानदान के लोग जोकि आजादी के लडाई से पहले के लोग हैं, उनकी पूरी फेमिली के नाम काट दिए गए हैं जिनका कि ताल्लुक पंडित जी से भी था और हकीम अजमल खां साहब मरहूम के खानदान का भी आना-जाना बगैरा सब था, तो उनकी पूरी फेमिली के नाम काटे गए हैं। इस तरह से दिल्ली में पूरे-के-पूरे मोहल्ले काट दिए गए हैं। सदर साहिबा, आपको हैरत होगी कि ज्ञानी जैल सिंह साहब के खानदान का नाम भी काट दिया गया। आपको हैरत होगी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चन्द्रशेखर साहब के खानदान

के नाम काट दिये गए। इसी तरह आसाम में बीसों लाख, तीसों लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बंगाल में, उनके इंकार के बावजूद कुछ नाम काटे हैं, लेकिन यू० पी०, मध्य प्रदेश और दूसरे सूबों में आम तौर पर लाखों आदमियों के नाम काटे गए हैं और उनमें अकलियतों के खास तौर पर पूरे-के-पूरे मोहल्ले, पूरी-की-पूरी स्ट्रीट के नाम काट दिए गए हैं। इस तरह से वोटर लिस्ट से हिन्दुस्तान में कम-से-कम डेढ़-दो करोड़ नाम मुसलमानों के इस वक्त काटे जा चुके हैं और जैसे-जैसे सूबों में इलेक्शंन होंगे, जैसे-जैसे लिस्ट्स काम में आएंगी, वैसे-वैसे लोगों को पता चलेगा कि एक सूबे में कितने-कितने नाम काटे गए हैं। तो इस तरह बाकायदा इलेक्शन कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाकर नाम काटे हैं। सदर साहिबा, इस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और इस मसले को फौरन हल करना चाहिए और अगर कोई गैर-मुल्की है तो हुकूमत के पास कानून है जिसके मुताबिक कार्य-वाही होनी चाहिए, लेकिन जिनके बाप-दादा के मुल्क की तक़सीम से पहले यहां रहते चले आए हैं और वह कहीं नहीं गए और ऐसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में कई-कई इलेक्शंस से चले आ रहे हैं और कोई एतराज नहीं किया गया, ऐसे लोगों के नाम बिना जांच-पड़ताल और देखे-भाले, बिना नोटिस के निकाल दिए गए और लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यह अख्तियार दिया गया कि वह जिसका नाम चाहें, काट दें, जो इलेक्शन में काम करने वाले लोग थे, उन अफसरों को उनके मातहत लोगों ने यह कहा कि एक-एक नाम की हमने जांच कर ली है और बिल्कुल दुरुस्त है और काटने की कोई वजह नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने यह कहा कि नहीं, हम को 30 परसेंट नाम मुसलमानों के काटने हैं। तो कोई सवाल नहीं है इस जांच-पड़ताल और शहर होने का। इसी तरीके से किशनगंज वगैरा में भी लोगों के नाम काटे गए हैं।

सदर साहिबा, इस वास्ते हुकूमत को इस पॉलिसी की गलती को दुरुस्त करना चाहिए और अगर कोई बात है तो हाउस में बयान देना चाहिए और उस पर डिस्कसन होना चाहिए क्योंकि अगर इस तरीके से शहरियों के नाम काट दिए जाएंगे और उनको गैर-मुल्की कहने लगेंगे तो कितना बड़ा बवाल होगा? इसलिए इस सिलसिले में मैं हुकूमत को अपनी पोजिशन साफ करना चाहिए और इंसाफ और कानून के मामले को खराब करने के बजाय ठीक करना चाहिए।

श्री मौलाना [illegible] "उत्तर प्रदेश"
नायब सदर साहिबा - वोटर लिस्ट के मतलक
जो शिकायत अफ़ज़ल साहब ने की है यह
शिकायत दिल्ली में हुई है मसलन हाजी सालेह साहब
के खानदान के लोग जो कि आज़ादी की लड़ाई
से पहले के लोग हैं उन की पूरी फैमिली के
नाम काट दिये गये हैं जिन का तअल्लुक पंडित
जी से भी था और हकीम अजमल खां साहब
(मरहूम) के खानदान का भी आना जाना वगैरह सब
था। तो उन की पूरी [illegible]
हैं। इस तरह से [illegible]

اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہاؤس میں بیان دینا چاہیئے اور اس پر ڈسکشن ہونا چاہیئے کیونکہ اگر اس طریقے سے شہریوں کے نام کاٹ دیئے جائیں اور ان کو غیر ملکی کہنے لگیں تو کتنا بڑا ایشو ہوگا۔ اس لئے اس سلسلے میں حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیئے اور انصاف اور قانون سے معاملہ کو خراب کرنے کے بجائے ٹھیک کرنا چاہیئے۔

"ختم شد"

उपसभापति : अभी इस मामले पर आप सब लोग सभी बोलना चाहते हैं । . . . (**व्यवधान**) ।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया यह बहुत ही अन्याय है और सोची समझी राजनीति के तहत है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : मैडम, हमारी जो पोलिसी है . . . (**व्यवधान**) . .

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL : This is electroral genocide.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, अफजल साहब ने जो कहा, उसे मैं समझ नहीं पाया कि क्या है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हजारों नाम, लाखों नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट से कटवाए गए हैं और अब यह हालत है कि अब मेजर रिवीजन चल रही है, 22 तारीख लास्ट डेट है । हम यहां भाषण दे सकते हैं, बयान भी आ सकते हैं, होम

محلے کے نام کاٹ دیئے گئے ہیں۔

صدر صاحبہ۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ فارمر ذیل سنگھ صاحب کے خاندان کا نام بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ فارمر پرائم منسٹر چندر شیکھر صاحب کے خاندان کے نام بھی کاٹ دیئے گئے۔ اسی طرح آسام میں بیسیوں لاکھ۔ تیسیوں لاکھ لوگوں کے نام کاٹ دیئے گئے۔ بنگال میں ان کے انکار کے باوجود کچھ نام کاٹے ہیں۔ لیکن یو۔پی۔ مدھیہ پردیش اور دوسرے صوبوں میں عام طور پر لاکھوں آدمیوں کے نام کاٹے گئے ہیں اور ان میں اقلیتوں کے خاص طور پر پورے کے پورے محلے۔ پوری کی پوری اسٹریٹ کے نام کاٹے گئے ہیں۔ اس طرح سے ووٹر لسٹ سے ہندوستان میں کم سے کم ڈیڑھ دو کروڑ نام مسلمانوں کے اس وقت تک کاٹے جاچکے ہیں۔ اور جیسے جیسے صوبوں میں الیکشن ہونگے اور جیسے جیسے لسٹ کام میں آئیں گی ویسے ویسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک صوبہ میں کتنے کتنے نام کاٹے گئے تو اس طرح سے [illegible] الیکشن کمیشن کے تھرو گورنمنٹ پالیسی بنا کر نام کاٹے ہیں۔

صدر صاحبہ۔ اس کی طرف دھیان دیا جانا چاہیئے۔ اور اس معاملہ کو فوراً حل کرنا

मिनिस्टर साहब को बयान लेकर आना ही चाहिए, यह कौंसल आफ स्टेट है। आज असम में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली, में क्या हो रहा है, हुकूमत का क्या नजरिया है, इलेक्शन कमीशन का क्या नजरिया है और होम मिनिस्टर क्या कदम उठा रही है? इस हाउस में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए।

मैडम, हकीकत तो यह है कि दिल्ली के चुनाव के मौके पर मैं भी शिकायत सुनकर बहुत से मोहल्लों में गया था। सब जगह यह कह रहे थे कि हमारा तो नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। बिहार से आए हुए लोग, बंगाल से आए हुए लोग, इनकी वर्षों से यह स्थिति है कि इनको परदेसी कहते हैं। अब परदेशी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बिहार दूसरा परदेश हो गया। वह जो बिहार से आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं और यहां पर यह स्थिति है, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का कम्युनिलाइजेशन हुआ है। यहां मजहब का सवाल इस लिए आता है, नहीं तो वोटर लिस्ट में मजहब का कोई सवाल नहीं है, यह डेमोक्रेटिक कन्ट्री है तो यहां पर वोटर लिस्ट में नाम रखने का सबको अधिकार है, सबका बुनियादी हक है। यह हम सब मानते हैं, लेकिन जिस तरह से कम्युनिलाइजेशन हुआ है, उससे ऐसा हुआ है। दफ्तर में जो अफसर बैठे हुए हैं, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है संविधान के अनुसार, कि यहां के नागरिकों का नाम वोटर-लिस्ट में डालना चाहिए, वह नहीं डलवा रहे हैं। तो क्या यह हाउस निर्देश देगा हुकूमत को, होम-मिनिस्टर को कि खासकर दिल्ली में जो सी०ओ० है, उनको इंस्ट्रक्शन्स दी जाएं कि इलेक्शन कमीशन के तहत स्पैशल आफीसर हों 22 तारीख, सिर्फ 22 तारीख आखिरी डेट है, अखबारों में इश्तहार देकर, टेलीविजन और रेडियो के जरिए बताएं कि यह आफीसर इस इलाके लिए जिम्मेदार हैं और जरूरत पड़ेगी तो 22 तारीख से बढ़ाकर 29 तारीख और 29 तारीख से बढ़ाकर जनवरी महीने के फर्स्ट वीक तक लास्ट डेट दी जाएगी। लोगो को यह मौका मिलना चाहिए। मैडम, लोगों में इलिटरेसी है, वह जिस हालत में हैं मालूम नहीं हो पाता है और वोट के समय बूथ में जाकर मालूम होता है कि उनका नाम खारिज कर दिया गया है और यह खासकर इसलिए भी जरूरी है, जैसा मदनी साहब ने कहा असम का। अब तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है। उनका इनफिलट्रेशन का सवाल, बंगलादेशी का सवाल मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नजरिया साफ है।

मैडम, हमारा अफसोस इसलिए है और ज्यादा अहमियत भी रखता है कि अब तो कांग्रेस वाले, नार्थ ईस्ट की जो कांग्रेस की कोर्डिनेशन कमेटी है, उसने जो रेजोलूशन पास किया है असम की वोटर लिस्ट के तहत, उसकी वजह से आज 30 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ... (व्यवधान) .. मैं तीस लाख कह रहा हूँ, मदनी साहब। पांच बार कांग्रेस की हुकूमत को जिताकर जो लोग असम में लाए, उनके नाम काटे जा रहे हैं और कांग्रेस कोर्डिनेशन कमेटी नार्थ इस्ट की ऐसी रेजोलूशन ले रही है, उसके बयान पर, बी० जे० पी० के बयान पर और यूथ कांग्रेस जो नार्थ ईस्ट की अभी है, पिछले महीने उन्होंने रेजोलूशन पास किया है कि इन लोगों का नाम

काट देना होगा तो हुक्मरान और जो सबसे बड़ी पार्टी हैं, विरोधी पक्ष के लोग, दोनों एक होकर अगर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट देते हैं तो कहां जाएंगे वह लोग ? यह कम्यु-निलिज्म हो रहा है पूरा । इसलिए हम यह कह रहे हैं, होम मिनिस्टर को यहां बयान देना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके बाद स्पेशल आफिसर को बैठाना चाहिए । यह सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, हमें उन माइनोरिटी के लोगों को यह संदेश देना है कि हिन्दुस्तान में आप रह सकते हो जम्हूरी हक के तहत और यह तुम्हारा भी जम्हूरी हक है । ...(व्यवधान)...

†

† Transliteration in Arabic Script.

اس نے جو رزولیشن پاس کیا ہے آسام کی ووٹر لسٹ کے تحت اس کی وجہ سے آج ۳۰ لاکھ لوگوں کے نام کاٹے جانے کے ..... "مداخلت" ..... میں ۳۰ لاکھ کہہ رہا ہوں مدنی صاحب۔ پانچ بار کانگریس کی حکومت کو جتا کر جو لوگ آسام میں لائے اُن کے نام کاٹے جا رہے ہیں اور کانگریس کی ریڈی نیشن کمیٹی نارتھ ایسٹ کی ایسا رزولیشن لے رہی ہے اس کے بیان پر۔ بی۔ جے۔ پی۔ کے بیان پر اور لیفٹ کانگریس جو نارتھ کی ہے پچھلے مہینہ انھوں نے رزولیشن پاس کیا ہے کہ ان لوگوں کا نام کاٹ دینا ہوگا۔ تو حکمران اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ورلڈ کی پلیٹس کے لوگ دونوں ایک ہو کر اگر لاکھوں لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیتے ہیں تو کہاں جائیں گے وہ لوگ۔ یہ کمیونلزم جو رہا ہے پورا۔ اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ہوم منسٹر کو یہاں بیان دینا چاہیئے۔ استھنی اسپیشل کرنا چاہیئے۔ ریٹرن کو آگے بڑھانا چاہیئے۔ اور اس کے بعد اسپیشل آفیسر کو بھیجنا چاہیئے۔ یہ سوال ووٹ کا نہیں ہے۔ ہمیں ان [illegible] لوگوں کے نام لسٹ میں [illegible] ڈالنا چاہیئے۔ وہ نہیں ڈلوا رہے ہیں۔ تو کیا یہ باؤس نہ دیش دے گا حکومت کو ہوم منسٹری کو کہ خاص کر دلّی میں جو سی۔ او۔ ہیں ان کو انسٹرکشنس دی جائے کہ الیکشن کمیشن کے تحت اسپیشل افسر ہو۔ ۲۲ تاریخ ۔ صرف ۲۲/ تاریخ آخری ڈیٹ ہے۔ اخباروں میں اشتہار دے کر ٹیلی ویژن۔ ریڈیو کے ذریعہ بتائیں کہ یہ یہ آفیسر اس اس علاقے کے لیے ذمہ دار ہیں اور ضرورت پڑے گی تو ۲۲ تاریخ سے بڑھا کر ۲۹ تاریخ اور ۲۹ تاریخ سے بڑھا کر جنوری کے مہینہ کے فرسٹ ویک تک لاسٹ ڈیٹ دی جائے گی۔ لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیئے۔ میڈم۔ لوگوں میں انسٹرکشن ہے وہ جس حالت میں ہیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے اور ووٹ کے سمے بوتھ میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام خارج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خاص اس لئے بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ مدنی صاحب نے کہا آسام کا۔ اب تو دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ ان کا انفلسکریشن کا سوال۔ بنگلہ دیشی کا سوال میں نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن نظریہ صاف ہے۔

میڈم۔ ہمارا افسوس اس لئے ہے اور زیادہ اہمیت بھی رکھتا ہے کہ اب تو کانگریس والے نارتھ ایسٹ کی [illegible] کانگریس کی جو کوآرڈی نیشن کمیٹی ہے

حق کے تحت اور یہ تمہارا بھی جمہوری
حق ہے۔ ... "مداخلت" ....
"ختم سد"

उपसभापति : अभी यहां होम मिनिस्टर साहब हैं नहीं । ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, प्लीज । ... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : महोदया, यह बहुत ही ज्यादती है, एक सोची समझी राजनीति के तहत है और इससे एक वर्ग के अधिकार को छीनने की सारी साजिश करने की कोशिश हो रही है उन लोगों के जरिए, जो लोग हिन्दुत्व के आधार पर इस देश में सत्ता में आना चाहते हैं । यह बहुत ही खतरनाक चीज है । सरकार को इस बारे में बयान देना चाहिए और जांच करानी चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति न होने पाए । इस देश में रहने वाले सभी हिन्दू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने की हैसियत से सबको यहां रहने का अधिकार हासिल है । मैं चाहूंगा, इस सम्बन्ध में सरकार को बयान देना चाहिए । ...(**व्यवधान**)... होम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए । ...(**व्यवधान**) ...

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : मैडम, ...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैडम, होम मिनिस्टर को सभी पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए और इसका सही रास्ता तय करना चाहिए । यह जो बहुत से जायज लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, बांग्ला देशी कहकर या कुछ और कह कर, यह अन्याय है । सभी पालिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग बुलाकर इसका कोई रास्ता अविलम्ब निकालना चाहिए ।...(**व्यवधान**)...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : Madam, Shri Mohammed Afzal has drawn the attention of the House to a very serious and disturbing incident. Madam, the only way to prevent this kind of unannounced disenfranchisement of certain sections of voter is to enquire into a specific incident and take deterrent action against the officers responsible for this whole irregularity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even what Mr Hanumanthappa said is very serious.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Therefore, I am calling upon the Government to make a statement in this regard. I would also call upon the Government to enquire into the incident and let the House know about the findings of enquiry.

श्री मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : (नाम निर्देशित) : मैं कहना चाहता हूं कि (**व्यवधान**)

उपसभापति : देखिए, इस मामले में कोई दो रायें नहीं हैं ।

श्री मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : यह मामला बहुत अहम है । दो चीजें हैं । एक तो वे लोग जिनके पहले से वोटर-लिस्ट में नाम रहे हैं और काटे गए हैं । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा जुर्म है कि जो आदमी यह लिस्ट तैयार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । नए नाम जुड़ने में गलती हो सकती है लेकिन जो नाम पहले से वोटर-लिस्ट में हैं और वे काटे जा रहे हैं तो यह तो सीधे-सीधे (**व्यवधान**)

श्री मौलाना असद मदनी (उत्तर प्रदेश) : एक बात और भी है कि कलेक्टर को कोई हक नहीं है नाम कटवाने का कानूनन और कलेक्टर को अधिकार दिया है ।

مولانا اسعد مدنی : ۔ ایک بات اور
بھی ہے کہ کلکٹر کو کوئی حق نہیں ہے نام کٹوانے
کا ۔ قانون اور کلکٹر کو ادھیکار دیا ہے ۔

श्री मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : इसलिए हम चाहते हैं कि चाहे वह दिल्ली का मामला हो चाहे आसाम का हो, चाहे यू० पी० का मामला

† Transliteration in Arabic Script

हो, कहीं का हो, एक साजिश के तहत यह सब कुछ हो रहा है और माइनॉरिटीज को और मजीद माइनॉरिटीज बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको उसके हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरी-पूरी छान-बीन होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग जान-बूझकर ऐसा काम करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

उपसभापति : आपने जो एतराज उठाया है, वह लिख लिया गया है।

श्री रफीक आलम (बिहार): मैडम, मेरे क्षेत्र किशनगंज में दो लाख मुसलमानों का नाम हालांकि वहां से काटा गया है, डी० एम० ने रिपोर्ट भेज दी है कि बिल्कुल सही नाम हैं। ये चुनाव कमीशन पता नहीं बैठकर क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमीशन है या किसका कमीशन है अल्लाह जानता है, यह उन्होंने कहा है कि नहीं काटे हैं। कहां कानून है, कास्टीट्यूशन में कौन सा हक है कमीशन को? ठीक है, अगर कोई विदेशी, बंगला देशी हो या पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो या कोई फारेन कंट्री के लोग हों, अगर हों तो यह गवर्नमेंट का काम है उनको निकालना, कमीशन का काम नहीं है। आपके असम में तो 30 लाख हैं, 2 लाख हमारे किशनगंज में हैं, ये आज से नहीं सैकड़ों सालों से वहां हैं लेकिन उन लोगों का भी नाम काट दिया गया है जबकि वहां के डी० एम० ने लिख कर भेजा है कि ये सब जेन्यूअन वोटर्स हैं लेकिन कमीशन कहता है काटो। यह कमीशन आखिर क्या है? पता नहीं यह सरकार से ऊपर है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर इसको मिली हैं? इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं ... **(व्यवधान)** ...

† Transliteration in Arabic Script

شری رفیق عالم :۔ میڈم ۔ میرے علاقہ کشن گنج میں دو لاکھ مسلمانوں کا نام حالانکہ وہاں سے کاٹا گیا ہے ڈی ۔ ایم نے رپورٹ بھیج دی ہے کہ بالکل صحیح نام ہے ۔ یہ کمیشن پتہ نہیں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کمیشن ہے یا کس کا کمیشن ہے اللہ جانتا ہے ۔ یہ انھوں نے کہا ہے کہ نہیں کاٹے ہیں کہاں قانون ہے ۔ کانسٹی ٹیوشن میں اس کو کیا حق ہے کمیشن کو ۔ ٹھیک ہے اگر کوئی بدیسی ۔ بنگلہ دیشی ہو یا پاکستانی ہو یا امریکن ہو یا کسی اور فارن کنٹری کے لوگ ہوں ۔ اگر ہوں تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کو نکالنا ۔ کمیشن کا کام نہیں ہے ۔ آپ کے آسام میں ۳۰ لاکھ ہیں ۲ لاکھ ہمارے کشن گنج میں ہیں ۔ یہ آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے وہاں ہیں ۔ لیکن ان لوگوں کا نام بھی کاٹ دیا گیا ہے ۔

جبکہ وہاں کے ڈی ۔ ایم ۔ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ سب جینوئن ووٹرس ہیں ۔ لیکن کمیشن کہتا ہے کاٹو ۔ یہ کمیشن آخر کیا ہے ۔ پتہ نہیں یہ سرکار سے اوپر ہے یا ایکسٹرا ٹیریٹوریل پاور اس کو ملی ہیں ۔ اس لئے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ صحیح طور پر جانچ کر لیں اور لوگوں کو گھر سے نہ نکالیں ۔

उपसभापति : एक मिनट। प्लीज एक मिनट।

I allowed everybody We are all elected representaties. We are all elected by the elected representatives of the people. But those who elect us are also elected by a franchise, by a vote. So naturally, it is of great concern to the Members of parliament to talk about this if the names of their voters are removed from the list I think it is a. very serious matter. Mr. Mohammed Afzal said that 22nd December, .1993 is the last date in. respect of Delhi. This hon. Minister of State for Parliamentary Affairs is here. I would request him to kindly convey the .message to the Home Minister and 'find out the exact position. Delhi is not far away. It is just outside this Parliament. They can find out and report back as to what had happened and take immediate action.

As regards other States, there should be an enquiry because the voters, whether they belong to the minority community, the majority community or the SC/ST, they are the people of this country; they are Indian nationals and they have got an inherent right to vote. The name of no Indian should be removed from the voter list.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद) : मैडम, माननीय सदस्यों ने जो इस संदर्भ में चिन्ता व्यक्त की है और आपने भी जो निर्देश दिया है, मैं निश्चित रूप से आज ही यह बात गृह मंत्री जी को बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें धर्म और जाति के नाम पर वोटर्स लिस्ट में से नाम काटा जाए या जोड़ा जाए।

श्री सुकोमल सेन : भाषा के नाम पर भी।

डा० अबरार अहमद : केन्द्र सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि इसमें जाति और धर्म के लोगों को छांटकर उनका नाम हटाया जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराऊंगा।

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal) : Madam, I want to raise ... *(Interruptions)*

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL : Madam, this is a very important matter. ... *(Interruptions)* ...

उपसभापति : आप बैठिए, आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) बस, एक मिनट, बैठ जाइए ... (व्यवधान)

Mr. Ashok Mitra, please sit down. See, I generally do not give directions from the Chair. It is not my habit but because it is a question of the right of an Indian individual, and if any Indian's right is being infringed upon by whoever the person, I told the Minister to enquire into it. Let the Minister enquire and come back. There is no point in getting agitated any more on this matter. Mr. Narayanasamy, please occupy the Chair . . . *(Interruptions)* .. . *O.* K. All right. Any Indian, speaking any language, belonging to any part of the coutry, professing any religion, belonging to any caste should not lose his right to vote. That is all. O. K. ... *(Interruptions)*

[The Vice-Chairmon (Shri V. Narayanasamy) in the Chair]

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, on an important subject, please allow me to speak for two or three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri V. Narayanasamy) : No, no; only minute.

RE. DEMAND FOR DISCUSSION ON THE DICISION OF THE CITIZENS TRIBUNAL ON AYODHYA (COL.)

SHRI SUKOMAL SEN : Yes. All right. One minute.

Mr. Vice-Chariman, Sir, the Citizens Tribunal on Ayodhya came out with their decision. They made it public yesterday, Sir, you are well aware that after the demolition of Babri Masjid at Ayodhya on 6th December, a Citizens Tribunal was formed consisting of Mr. O. Chinnappa Reddy and Mr. D. A. Desai, both former Supreme